न्यायालय, कनीय न्यायाधीश, शाहपुर पटोरी, समस्तीपुर

निष्काषन वाद–02 / 2015

मो0 सईद .....वादी

बनाम्

कामेश्वर प्रसाद जयसवाल.....प्रतिवादी

आदेश

28.06.2023

अभिलेख आज प्रतिवादी की ओर से दाखिल कागजात प्रदर्श करने सम्बन्धी आवेदन दिनांक– 07.01.2023, दाखिल किया गया तथा वादी की ओर से उक्त आवेदन का प्रत्युत्तर दिनांक 28.02.2023 पर उभयपक्षों के द्वारा सुनवाई पश्चात् आदेशार्थ प्रस्तुत किया गया है।

अपने आवेदन में प्रतिवादी ने यह निवेदन किया है कि प्रार्थी प्रतिवादी अपने दावे के संबंध में किराया वापसी रसीद एवं मनिआर्डर किराया वापसी का रसीद जो 19 फर्द में है दाखिल किया है। उक्त दाखिल दस्तावेज लोक दस्तावेज की श्रेणी में है जिसे प्रतिवादी की ओर से प्रदर्श अंकित होना आवश्यक है।अतः उपरोक्त दाखिल कागजात को प्रदर्श अंकित करने की कृपा की जाय।

वादी की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादी द्वारा दाखिल कागजात प्रदर्श करने सम्बन्धी आवेदन दिनांक– 07.01.2023 का विरोध करते हुए कहते है कि उक्त आवेदन विधि की दृष्टि में पोषणीय नहीं है, बल्कि खारिज करने योग्य है। प्रतिवादी द्वारा दाखिल किराया वापसी रसीद अस्पष्ट व्यक्ति के नाम से है तथा वादपत्र में दिये गये वादी के पते के इतर का पता है तथा प्रतिवादी के पावती रसीद में यह उल्लेख नहीं किया गया है कि कामेश्वर प्रसाद जयसवाल पावती रसीद किसको भेजते है। प्रतिवादी की ओर से दाखिल कागजात जाली एवं कुटरचित दस्तावेज है जिसका प्रदर्श अंकित नहीं किया जा सकता है अतः प्रतिवादी का आवेदन को खारिज करने की कृपा की जाय।

उभय पक्षों को सुना। अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से विदित होता है कि प्रस्तुत वाद प्रतिवादी साक्ष्य हेतु लंबित है और प्रतिवादी द्वारा दाखिल कागजात किराया वापसी का रसीद एवं किराया वापसी का मनिआर्डर पावती रसीद है। उक्त सभी दस्तावेज प्रतिवादी की ओर से व्यक्तिगत रूप से दाखिल किया गया है जिसके लिए अभिरक्षा साबित किया जाना आवश्यक प्रतीत होता है। अतः उक्त दस्तावेज को प्रतिवादी द्वारा अभिरक्षा के संबंध में आवश्यक कारवाई कर प्रदर्श अंकित कराया जा सकता है। तद्नुसार प्रतिवादी की ओर से दाखिल आवेदन दिनांक 07.01.2023 निष्पादित किया जाता है।

दिनांक– 12.07.2023 वास्ते प्रतिवादी साक्ष्य हेतु।

कनीय न्यायाधीश,
शाहपुर पटोरी